-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 05 घण्टें में महिला से छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 झपटामार अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीनी गयी 50,000/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि व कपडे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 को वादी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो द्वारा वादी की बहन के हाथ से प्लास्टिक का थैला (जिसमे कपडे व पचास हजार रूपये) झपटकर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व नकबजनी/लूट/झपटामारी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 12.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुये मात्र 05 घण्टे मे 03 झपटामार **अभियुक्तगण 1.गुरमीत उर्फ लाडी पुत्र विनोद निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2.नितिन पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3.गुरमीत पुत्र बिजेन्द्र समस्त निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम इब्राहिमी मे निर्माणधीन फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से छीने गये 50 हजार रुपये व कपड़े बरामद। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2), 61 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त गुरमीत उर्फ लाडी ने बताया कि सुबह जिस महिला से 50000/- की छिनैती की घटना हुई थी वह महिला पूजा पत्नी पृथ्वी सिंह मेरी बहन है। मैने अपने गांव के ही अपने साथियो नितिन पुत्र भूपेन्द्र और गुरमीत पुत्र बिजेन्द्र के साथ योजना बनाकर अपनी बहन से एक थैला जिसमे 50,000/- रुपये व कपडे छीनने की घटना को कराया था और छीने गये पैसो मे से 15 – 15 हजार नितिन और गुरमीत को दिये बाकी 20,000/- रुपये मैने रख लिये। मेरे घरवालो ने अपनी जमीन बेची थी जिसमे से मुझे मेरा वाजिब हिस्सा नही दिया था इस कारण मेरे मन मे रोष भरा हुआ था। आज हम तीनो कही भागने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. गुरमीत उर्फ लाडी पुत्र विनोद निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. नितिन पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम छापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. गुरमीत पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम छापुर थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 50,000/- रुपये नकद
- कपडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1006 तरुण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 13.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक व बिना नम्बर प्लेक की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध नशे के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के नेतृत्व में दिनांक आज दिनांक 13.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्त 1.नादिर पुत्र इसरार निवासी मौहल्ला जगदम्बा कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. कय्यूम पुत्र असगर निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को ग्राम कादरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 22 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 135/2025, धारा – 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। बिना नम्बर की प्लेट की मोटरसाइकिल को धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया। गिफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो नशा करने के आदि हैं। हम दोनो स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज जब हम स्मैक बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. नादिर पुत्र इसरार निवासी मौहल्ला जगदम्बा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. कय्यूम पुत्र असगर निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त नादिर का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 330/16 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 01/23 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 61/21 धारा- 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 153/24 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0447/23 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 6112/14 धारा- 302/201/120बी/364/504/506 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 179/10 धारा- 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त कय्यूम का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 199/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 36/10 धारा- 304 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 22 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1835 सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार एंव अवैध असलाह रखने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2025 को मुखबरि की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **कुर्बान पुत्र मसरूर निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम कादरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 136/25 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूं। पुलिस ने जो मुझसे चाकू बरामद किया है उसे में लोगो का डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

कुर्बान पुत्र मसरूर निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0 नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 2389 नरेश कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 13.04.2025 को 01 वारण्टी **अभियुक्त परवेज पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 6218/22 धारा 25/4 आर्मस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर) को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

परवेज पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2.का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 13.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवायें व बिना नम्बर प्लेट की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध नशे के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा ASP/थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **साबिर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम नल्हेडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक बिना नम्बर प्लेट की मोटससाइकिल एंव एक बैग में प्रतिबंधित नशीली दवाईंया बरामद की गयी।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 81/25 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं अच्छा मुनाफा कमाने के लिये नशीली दवाओं का कारोबार करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

साबिर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 259/21धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
2. मु0अ0सं0 69/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
3. मु0अ0सं0 72/25 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
4. .मु0अ0स0 81/25 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

बरामदगी-

- ALPRAZOLAM TABLETS I.P. की कुल 2220 गोलियाँ।
- DICYLOMINEHYDORCHOLORIDE,TRAMADOL,HYDROCHOLORIDE, ACETAMINOPHEN CAPSULES , PROXIOHM – SPAS के 2160 (नशीले कैप्सूल)
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 राजकुमार सहारन थाना चिलकाना सहारनपुर

2- का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर

3- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

4-का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 13.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा ASP/ थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त **आलीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम अम्बेटा पीर थाना नकुड सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0 81/25 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट में सलीरी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आलीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम अम्बेटापीर थाना नकुड सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. निरीक्षक श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0 का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1775 राहुल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर